

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267049
SG-DL-E-21102025-267049

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 2025/आश्विन 29, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 294
No. 319]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2025/ASVINA 29, 1947	[N. C. T. D. No. 294

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय आयुक्त, उद्योग
अधिसूचना

दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025

फा0 सं0 उद्योग/एआई/6/2024/डीसी (डीकेवीआईबी)/167-180.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 8) की धारा 3 तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन/पुनर्गठन हेतु जारी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क्र० सं०		बोर्ड में पद स्थिति
1	सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (उद्योग)	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव (वित्त)	सदस्य

4	एमडी, दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम	सदस्य
5	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
6	प्रबंधक निदेशक, डीकेवीआईबी	सदस्य सचिव

बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 8) के अंतर्गत निहित ऐसे कर्तव्य और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

बिपुल पाठक, अपर मुख्य सचिव (उद्योग)

टीपः दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य से संबंधित समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाएं इस अधिसूचना द्वारा अधिक्रमित की जाएंगी।

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 17th October, 2025

F. No. IND/AI/6/2024/DC(DKVIB)/167-180.— In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 4 of the Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1966 (Himachal Pradesh Act No. 8 of 1966) as extended to the National Capital Territory of Delhi and in supersession of all previous notifications issued for constitution/re-constitution of Delhi Khadi & Village Industries Board, published in the official gazette, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to re-constitute the Delhi Khadi & Village Industries Board, consisting of the following members:

S. No		Status in Board
1	Sardar Manjinder Singh Sirsa, Hon'ble Minister of Industries	Chairperson
2	Addl. Chief Secretary / Pr. Secretary (Industries)	Member
3	Addl. Chief Secretary (Finance)	Member
4	MD, Delhi Scheduled Caste Financial Development Corporation	Member
5	Representative of Khadi and Village Industries Commission	Member
6	Managing Director, DKVIB	Member Secretary

The Board shall exercise such functions and powers as are vested in it under the Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1966 (Himachal Pradesh Act No. 8 of 1966), as extended to the National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into effect on the date of its publication in Delhi Gazette.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
BIPUL PATHAK, Addl. Chief Secy. (Industries)

Note: All the previous notifications regarding the Chairman/Vice-Chairman/Members of DKVI Board shall be superseded by this notification.